

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका)

वाद संख्या :- 02/131/2016

गंगासहाय बनाम गिराज
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 29.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 09.08.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1510/0.79 है। वाके ग्राम नयागांवबोलका तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 20.10.2016 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखें बाबत जारी की गई थी तथा प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण उपस्थित न्यायालय आय। उनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2016 से प्रचलन में है जिसको 2 वर्ष का समय हो गया है। जवाब के अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2068-71 के अंकित इन्द्राज के अनुसार अप्रार्थीगण आराजी विवादित के प्रथम दृष्टया खातेदार भी साबित नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1510/0.79 है। वाके ग्राम नयागांवबोलका तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 09.08.2016 का प्रचलन दावे के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका)